(वाद सं0–2065–4–37/2019)

19.02.2021

परिवादी, अजय कुमार यादव उर्फ मुन्ना चौधरी अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल Cr.WJC No. 1459/2018 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिवान, श्री नवीनचन्द्र झा, की व्यक्तिगत उपस्थिति करवाने से क्षुब्ध होकर उनके द्वारा परिवादी को प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में दिये गये निर्देश के आलोक में उसे अपनी सुरक्षा हेतु पुलिस गार्ड (बोडीगार्ड) की सुबिधा उपलब्ध करायी गयी थी, जो बिना माननीय न्यायालय के आदेश के वापस ले ली गयी। बाद में बोडीगार्ड के प्रति–नियुक्ति की व्यय की राशि की वसूली हेतु उसे निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस प्राप्त हुआ। उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद उसकी ओर से मांगी गयी समस्त राशि को जमा कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिवान, श्री नवीनचन्द्र झा, द्वारा बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है।

परिवादी के उपरोक्त परिवाद–पत्र के प्रत्युत्तर में पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा द्वारा राज्य आयोग को प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त रिट याचिका में दिनांक–28.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में परिवादी की सुरक्षा वापस लेकर, सुरक्षा में हुए व्यय की वसूली हेतु कार्रवाई की गयी थी। उनके द्वारा परिवादी के इस कथन का समर्थन किया गया है कि पुलिस बल की प्रति–नियुक्ति में हुए समस्त व्यय की राशि को परिवादी द्वारा जमा भी कर दिया गया है।

पुलिस प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी वर्त्तमान में हत्या, रंगदारी सहित कई गंभीर मामलों का अभियुक्त है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में ऐसे दस मामलों का उल्लेख भी किया गया गया है।

दूसरी तरफ परिवादी का कथन है कि तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, सिवान, श्री नवीनचन्द्र झा, द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में उनके व्यक्तिगत उपस्थिति करवाने से क्षुब्ध होने के बाद परिवादी के विरूद्ध तीन आपराधिक मामले उनके द्वारा संस्थित कराये गये है जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है, तथा वर्त्तमान में उक्त तीनों मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

परिवादी का यह भी कथन है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिवान, श्री नवीनचन्द्र झा, का स्थानान्तरण सीवान से हो गया है तथा वर्त्तमान में वे पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित है।

राज्य आयोग द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिवान, श्री नवीन चन्द्र झा, के स्थानान्तरणोंपरान्त, अब भी अपनी सुरक्षा हेतु परिवादी के आशंका के संबंध में जब उनसे प्रमाण मांगा गया तो उनकी ओर से ऐसा कोई संतोषजनक प्रमाण आयोग के समक्ष नहीं दिया गया।

अब, जबकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिवान, श्री नवीनचन्द्र झा, का सिवान से स्थानान्तरण हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत दुराग्रह से उनके द्वारा परिवादी को प्रताड़ित करने की संभावना अब नहीं रह गयी है। वैसे भी परिवादी की ओर से उनके द्वारा अब भी प्रताड़ित किये जाने की आशंका का कोई प्रमाण व उदाहरण, आयोग के समक्ष नहीं दिया जा सका है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा के प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक